संख्या-179/2015/491/9-8-2015-04पी(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 05 मई, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय कमेटी, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय कमेटी, उत्तर प्रदेश के अधिष्ठान व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपये 26,40,000/- (रूपये छब्बीस लाख चालीस हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों में आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि (रूपये हजार में)**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि (रूपये हजार में)**
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-05-पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय कमेटी	--	--
02 मजदूरी	580	580
04-यात्रा व्यय	100	100
07-मानदेय	240	240
08-कार्यालय व्यय	200	200
06-विद्युत व्यय	120	120
11-लेखन सामग्री एवं फार्म छपाई	100	100
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	200
13-टेलीफोन पर व्यय	100	100
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	300	300
22-आतिथ्यव्यय /व्यय विषयक भत्ता आदि	100	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400	400
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200	200
योग-	2640	2640

(रूपये छब्बीस लाख चालीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उक्त् वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निर्गत की जा रही है।

3. उक्त धनराशि जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वरिष्ठ महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक अनुमान के अनुदान संख्या-37 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक -2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्यव्यय-05-पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति" के मद अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/वि-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या -179/2015/491(1)/9-8-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in